निगरानी /कोलो/5686/ 2004/ गंगानगर
राज0 सरकार बनाम मखनसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित :** श्री आर.पी.मीणा, अभिभाषक प्रार्थी। श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** यह निगरानी अंतर्गत नियम 17 राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थाई आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1956 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–5–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी को दिनांक 16–6–92 को चक 43 पीएस में 12 बीधा भूमि का आवंटन गंग कैनाल आवंटन नियम 1956 के प्रावधानों के तहत किया गया था। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र मय धारा 5 मियाद अधिनियम आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर के यहां प्रस्तुत कर उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होने से खारिज करने का निवेदन किया। उपखंड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर ने आदेश दिनांक 2–4–97 द्वारा अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के यहां प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 7–5–04 से अपील स्वीकार कर आवंटन बहाल कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि अप्रार्थी आवंटी के नाम मुताबिक जमाबंदी संवत् 2028 से 2041 में चक 43 पीएस के मुरब्बा नंबर 27/39 में कोई टीसी पर भूमि नहीं थी। इस कारण आवंटन नियम के अनुसार वह आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। आवंटन अधिकारी द्वारा गंग कैनाल आवंटन नियम 1956 के नियम 3, 4 एवं 6(क) के विपरित आवंटन होना मानकर उसे सही खारिज किया है। टीसी 1960 के पूर्व का साबित होने की स्थिति में ही अप्रार्थी को आवंटन किया जा सकता था। विपक्षी अप्रार्थी द्वारा इस सबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी तथा देरी को क्षमा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	करने के लिये कोई ठोस संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया। आवंटन पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट से सिद्ध है कि विपक्षी अप्रार्थी की टीसी 1960 के पूर्व की नहीं है इस कारण वह आवंटन की पात्रता नहीं रखता। इस कारण उपखंड अधिकारी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया है। किंतु अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी के उक्त समस्त तर्को को नकारते हुये विपक्षी अप्रार्थी का आवंटन बहाल करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी का आवंटन आदेश निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि विवादित भूमि का टीसी पर सन् 1959 से पूर्व 1955 से ही आवंटित भूमि पर चला आ रहा था और साल दर साल उसका नवीनीकरण होता रहा है। तत्पश्चात् अप्रार्थी को विवादित आराजी का टीसी आवंटन हुआ तथा बाद में पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आवंटन अधिकारी ने नियमानुसार आवंटन किया है। आवंटन अधिकारी ने तहसीलदार का नजरसानी प्रार्थना पत्र बिना आवंटी को सुने स्वीकार किया है और उसका आवंटन गलत निरस्त किया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी ने स्वीकार कर आवंटन सही तौर पर बहाल किया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात और अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अप्रार्थी को आवंटन दिनांक 16–6–92 को किया गया है और रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 2–1–96 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण गंग कैनाल क्षैत्र से सबंधित है जिसमें टीसी से सबंधित भूमि के नियमन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधि की शर्तो मे छूट प्रदान की जाती रही है। इस सबंध में संबधित विधिक प्रावधानों और सबंधित नियमों के संदर्भ में पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत ही समुचित रूपसे विधिक निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक था। अतः इस सबंध में प्रकरण का कॉलोनी एरिया क्षेत्र हेतु राज्य सरकार के सबंधित प्रावधानों एवं परिपत्रों अनुसार समुचित रूपसे परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रकरण में इस तथ्य का भी समुचित रूपसे परीक्षण नहीं किया गया है कि टीसी धारक का कब्जा काश्त कब से और किस अवधि तक रहा है और उसके द्वारा कितनी राशि राजकोष में जमा कराई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मिलित राजस्व दस्तावेजों के आधार पर समुचित जांच व परीक्षण किया जाना उनके द्वारा पारित आदेश में नहीं पाया जाता है, जो विधि अनुसार किया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के मद्देनजर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की अपील स्वीकार कर उसका आवंटन बहाल किये जाने के तर्क को उचित नहीं ठहराया जा सकता। परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–5–04 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह मूल प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के सभी सबंधित राजस्व दस्तावेज व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के आधार पर प्रकरण का पुनः परीक्षण कर नये सिरे से उभय पक्ष को सुन नियमानुसार विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	

निगरानी /कोलो/5686/ 2004/ गंगानगर
राज0 सरकार बनाम मखनसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए